

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 554/2025

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, राजकीय अस्पताल के पास, डॉ० पाराशर के पीछे, कुचामन सिटी, पिन कोड 341508

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 554/2025 पर दिनांक 24.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 5489-5490 दिनांक 24.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/ 2025/4 दिनांक 09.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, राजकीय अस्पताल के पास, डॉ० पाराशर के पीछे, कुचामन सिटी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/359 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त क्रम में प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 16.12.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर कार्यालय दिवस में किसी भी कार्य दिवस को उपस्थित होकर वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन कर संबंधित रिकार्ड की निर्धारित फीस जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/ 2025/4 दिनांक 09.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, राजकीय अस्पताल के पास, डॉ० पाराशर के पीछे, कुचामन सिटी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/359 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त क्रम में प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 16.12.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर कार्यालय दिवस में किसी भी कार्य दिवस को उपस्थित होकर वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन कर संबंधित रिकार्ड की निर्धारित फीस जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है कि वे किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन कर संबंधित रिकार्ड की निर्धारित फीस जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू